

परिशिष्ट ए

नागरिक शिकायत सूचना पत्रक

मोंटक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी पुष्पि स विभाग के सदस्य निष्पक्ष, प्रभाषी और निष्पक्ष रूप से ०८० कम्यून प्रवर्तन सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सभी के सर्वोत्तम हित में है कि किसी एक अधिकारी के कार्बनिष्पाद्धन के बारे में आपकी शिकायत का निष्पक्ष और त्वरित समाधान किया जाए। आपकी शिकायत की जांच के लिए पुष्पि स विभाग के पास औपचारिक प्रक्रियाएँ हैं। इन प्रक्रियाओं को निष्पक्षता सुनिश्चित करने और नागरिकों और कम्यून प्रवर्तन अधिकारियों दोनों के अधिकारों की रक्षाकरने के लिए डिजाइन किया गया है:

1. अधिकारी/कर्मचारी के कदम्बार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी व्यक्ति से, गुमनाम स्रोतों सहित, किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए।
2. शिकायतकर्ता पक्ष की उम्र, जाति, जातीयता, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, अक्षमता या आप्रवासन स्थिति की परवाह किए बिना शिकायतें स्वीकार की जाएंगी।
3. विशेष रूप से प्रशिक्षित आंतरिक मामलों के अधिकारी को भेजी जाएंगी एक अधिकारी जो एक गहन और वस्तुनिष्ठ जांच करेगा।
4. के बारे में विस्तृत विवरण देकर आपसे जांच में मदद करने के लिए कहा जाए सकता है क्या हुआ या अन्य महत्वपूर्ण जाजकारी या दस्तावेज प्रदान करना।
5. कम्यून प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ सभी शिकायतों की गहन जांच की जानी है। अनुरोध किए जाएं पर आपको जांच की स्थिति और उसके अंतिम परिणाम के बारे में सूचित किया जाएगा और आप संपर्क जाजकारी प्रदान करेंगे। यह आगामी साल अनुशासन गोपनीय है, लेकिन आपको अंतिम खोज की सफाई दी जाएगी, अर्थात्:
 - a. कागम: साक्ष्य की अधिकतापदशर्ती है कि एक अधिकारी ने किसी कम्यून का उल्लंघन किया है; विनियमन; महायाग्वादी या कांडांटी अभियोजक द्वारा जाजकारी निर्देश, दिशानिर्देश, नीति या प्रक्रिया एजेंसी प्रोटोकॉल; स्थानी संचालन प्रक्रिया नियम; या प्रशिक्षण।
 - b. निराकार: सबूतों की अधिकतापसे पताचा ताहै कि कथित कदम्बार नहीं हुआ था।
 - c. दोषमुक्त: साक्ष्य की अधिकतापदशर्ती है कि कथित आचरण हुआ था लेकिन उसने किसी कम्यून का उल्लंघन नहीं किया है विनियमन; महायाग्वादी या कांडांटी अभियोजक द्वारा जाजकारी निर्देश, दिशानिर्देश, नीति या प्रक्रिया एजेंसी प्रोटोकॉल; स्थानी संचालन प्रक्रिया नियम; या प्रशिक्षण।
 - d. स्थिर नहीं: आरोप को स्पष्ट रूप से सांबित करने या खारिज करने के लिए जांच पर्याप्त साक्ष्य का खुलासा करने में विफ़रही।
6. अगर हमारी जांच से पताचा ताहै कि कोई अपराध किया गया हो सकता है, तो कांडांटी अभियोजक को सूचित किया जाएगा आपको अदानत में गवाही देने के लिए कहा जाए सकता है।
7. यदि हमारी जांच के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी पर विभाग के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है नियम, आपको विभागीय सुनवाई में गवाही देने के लिए कहा जाए सकता है।
8. अगर हमारी जांच से पताचा ताहै कि शिकायत निराकार है या अधिकारी ने कर्तव्य की है ठीक है, मामला बंद हो जाएगा।
9. आंतरिक मामलों की जांच गोपनीय होती है और सभी अनुशासनात्मक सुनवाई जनताके लिए बंद कर दी जाएगी जब तक कि प्रतिवादी अधिकारी खुपी सुनवाई का अनुरोध नहीं करता।
10. आप आंतरिक मामलों के अन्वेषक को (973)-655-5222 पर कॉल कर सकते हैं कोई अतिरिक्त जाजकारी या मामले के बारे में कोई प्रश्न।

विभाग / रजेंसी _____ IA केस नंबर _____

आंतरिक मामलों को रिपोर्ट करने के लिए फार्म

रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति (वैकल्पिक, लेकिन सहायक)

पूरा नाम _____

फोन _____ पसंदीदा?

पता (अपार्टमेंट #) _____

ई-मेल _____

शहर, राज्य, जिप _____

जन्म की तारीख _____

आरोप के अधीन अधिकारी (जो भी जानकारी है, उसे दें)

अधिकारी(ओं) का नाम _____

बैज नंबर _____

घटना स्थल _____

तारीख / समय _____

नीचे दिए गए स्थान में घटना का प्रकार (यातायात रोकना, सड़क मुठभेड़) और कथित आचरण के बारे में किसी भी जानकारी का वर्णन करें। आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग कर सकते हैं, और उसे इस दस्तावेज में संलग्न करें। यदि आप अधिकारी का नाम या बैज नंबर नहीं जानते हैं, तो पहचान करने के लिए कोई अन्य जानकारी प्रदान करें।

अन्य जानकारी

इसकी रपट कैसे की गई थी?

व्यक्तिगत रूप से फोन के माध्यम से पत्र के द्वारा ई-मेल से अन्य _____

कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किया? हाँ नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें: _____

क्या घटना की रपट पहले की गई थी? हाँ नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें: _____

रपट प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा

शिकायत प्राप्त करने वाला अधिकारी

बैज नंबर

तारीख / समय

शिकायत की समीक्षा करने वाले पर्यवेक्षक

बैज नंबर

तारीख / समय